–::आदेश::–

भारत सरकार पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/95/2017/एफ0सी0/406 दिनांक 30.05.2018 के द्वारा शर्त संख्या–01 के अनुपालन में जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चपोली से टकोली–चमोगी होते हुए भैन्वाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.746 हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत प्रत्यावेदन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.492 हे0 सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्तानुपालन में उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के पत्र संख्या–417/आर0ए0 (क्ष0वृ0रो0)–2020, दिनांक कीर्तिनगर, जून 22, 2020 के द्वारा तहसील देवप्रयाग के अन्तर्गत निम्नवत् भूमि प्रस्तावित की गई है।

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा(हे0में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
चपोली	वनगढ़	28/228	7955 म0	1.240 है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड.
			8028 म0	0.160 है0	
			8094 म0	2.100 है0	
			योग	3.500 है0	वृक्षारोपण हेतु

प्रस्तावित चपोली से टकोली–चमोगी होते हुए भैन्वाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या –2882/XVIII(II)/ 11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या–2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित की जानी है।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के द्वारा प्रस्तावित किये गये ग्राम–चपोली, पट्टी–वनगढ़ के खाता संख्या–28/228 के खसरा नम्बर–7955 म0 रक्वा 1.240 है0, 8028 म0 रक्वा 0.160 है0 एवं 8094 म0 रक्वा 2.100 है0 कुल रक्बा 3.500 है0 (तीन दशमलव पांच शून्य शून्य है0) श्रेणी 9(3)ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार देवप्रयाग तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–315/XI-130(2020–21)दिनांक,नई टिहरी, अगस्त 28,2020.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र वन प्रभाग, मुनिकीरेति।
6– अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0 कीर्तिनगर।
7– उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर।
8– तहसीलदार देवप्रयाग को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Scanned By Scanner Go

डायरी संख्या 464
फाइल न० 376
दिनांक 23/1/24

::संशोधित आदेश::

इस कार्यालय के आदेश संख्या–315/XI–130(2020–21) दिनांक नई टिहरी, अगस्त 28, 2020 के द्वारा टकोली–चमोगी होते हुए भैन्वाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–चपोली, पट्टी–वनगढ़, तहसील–देवप्रयाग के ज0वि0र0 खाता संख्या–28/220 की 3.500 है0 भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित की गई है।

जिसके आदेश की प्रतिलिपि में त्रुटिवश प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के स्थान पर प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती अंकित हो गया है, जिसे प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी पढ़ा जाय।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 347 /XI–02 (2020–21)दिनांक,नई टिहरी,फरवरी, 11 ,2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी/प्रभागीय वनाधिकारी,नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
6– अधिशासी अभियन्ता,अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि, कीर्तिनगर।
7– उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर।
8– तहसीलदार देवप्रयाग को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

SE-B
1/1/2024

Scanned By Scanner Go